



पत्रांक- 196 / फा0सं0-1333 / IQAC / DSMNRU / 2018-19

दिनांक 21 अगस्त 2018

## // कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकवृन्द को सूचित किया जाता है कि कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत (CAS) प्रोन्नति हेतु अपनी अर्हता की तिथि से तीन माह पूर्व वे उक्त सम्बन्ध में अपना आवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रोन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित "प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली" (PBAS) के प्रारूप को ही विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर अंगीकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में शिक्षकवृन्द को यह भी सूच्य है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत प्रधान विनियमन-2010 तथा उसके समस्त अनुवर्ती संशोधनों के सुलभ अवलोकन हेतु विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर इस हेतु लिंक उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर शिक्षकवृन्द यू.जी.सी. के प्रधान विनियमन-2010 अथवा उसके अनुवर्ती संशोधनों में प्राविधानित PBAS प्रारूप को अपनी आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

अपनी मूल्यांकन अवधि के दृष्टिगत शिक्षकों को स्वयं यह आकलित करना है कि प्रोन्नति हेतु यू0जी0सी0 की उपरोक्त वर्णित किस व्यवस्था से वे आच्छादित हो रहे हैं। (प्रधान विनियमन 2010 अथवा उसके किसी अनुवर्ती संशोधन से)। तदनुरूप ही शिक्षकों को उन पर प्रभावी PBAS प्रारूप में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अपने API की गणना करनी है।

उल्लेखनीय है कि समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् शिक्षकवृन्द अपने आवेदन, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संकाध्यक्ष से अग्रसारित कराएंगे व तत्पश्चात् समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों से युक्त "स्व मूल्यांकित प्रतिवेदन" की स्पाईरल बाइन्डिंग करायी हुई पाँच प्रतियाँ अपने Curriculum Vitae के साथ निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

AGP 7000 व AGP 8000 में प्रोन्नति हेतु अर्ह ऐसे शिक्षकवृन्द जिन्होंने प्रोन्नति से सम्बन्धित अपना आवेदन अभी तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है वे अनिवार्य रूप से इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के 15 कार्य दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुसंगत स्व मूल्यांकित प्रतिवेदन पूर्ण रूप से भरकर जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उनकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा सके।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति कार्यालय, विश्वविद्यालय को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. स्थापना अनुभाग, विश्वविद्यालय।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव